

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2023/101575/GKP/GORAKHPUR/1537/CFO

दिनांक : 04-12-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स URMIL UNIQUEC ENTRAL ACADEMY पता LACHCCHIPUR SAKETPURI COLONY GORAKHNATH,10 NO BORING,GORAKHPUR तहसील - SADAR प्लाट एरिया 2719.45 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 2111.22 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	9.69 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स URMIL UNIQUEC ENTRAL ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 08-12-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SANJAY KUMAR MISHRA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 09-12-2023 से 08-12-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स URMIL UNIQUEC ENTRAL ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स URMIL UNIQUEC ENTRAL ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : 1-आवेदक के द्वारा अपलोड किये गये प्रपत्रों के क्रम में शासनादेश संख्या- 187/छ-पु0-8-2022/905(34)/2016 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है 2- स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को कार्यशील रखना अनिवार्य होगा। 3-मानचित्र तथा आवेदन में दर्शाये गये भाग के अलावा अतिरिक्त निर्माण अथवा अधिभोग हेतु अलग से विभागीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। 4-कभी भी सुरक्षा मानकों का अवहेलना करने पर स्वयं जिम्मेदार/उत्तरदायित्व होंगे।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Jai Prakash Singh

49E14DDDA8657D84AD71266898C61B1FE4333961

09-12-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 09-12-2023
स्थान : GORAKHPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Accepted
Jai Prakash Singh
26/10/24
PRINCIPAL
URMIL UNIQUE CENTRAL ACADEMY
SAKETPURI COLONY
GORAKHPUR

